न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–114/2024

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

गुरजोत सिह पुत्र स्व. श्री बलतेज सिंह पुत्र स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

– वादी

बनाम्

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़। ।
2. कर्मजीत कौर पत्नि स्व. श्री सुखदेव सिंह
3. वीरपाल कौर पुत्री स्व. सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. मनजीत कौर पुत्री स्व. सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. हरप्रीत कौर पुत्री स्व. सुखदेव सिंह पुत्र श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. समनप्रीत कौर पुत्री सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. जलकौर पत्नि स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री मनोज अरोड़ा – अधिवक्ता वादी
2. श्री कुनाल गौड़ – प्रतिवादी सं. 1 ता 7
3. राज पैरोकार – प्रतिवादी सं. 8

–:निर्णयः–

दिनांक ....

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि यह कि वादी के दादा स्व. गुरनाम सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी झाम्बर के नाम से वाका चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी मे एकल खाता व संयुक्त खाता मे कृषि भूमि दर्ज है। जिसकी तफसील निम्न है :–

चक न.	पं.न.	कि.न.	तादादी
7 एस एस डब्ल्यू	160/299(61)	19/1,23	
	160/300(64)	1/1,1/2,2/1,2/2	
		9 ता 12, 19 ता 22	2.910 है.

चक न.	पं.न.	कि.न.	तादादी
7 एस एस डब्ल्यू	159/301(67)	11/3,11/6	.084 है.

प्रमाणित प्रति जमाबंदिया संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वादी के दादा के नाम से वाका चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी तहसील व जिला हनुमानगढ मे खाता सं. [illegible]/27 के मे कुल तादादी 2.910 हैक्टर व चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी मे सांझा खाता सं. 35/32 मे कुल तादादी 0.084 हैक्टर आराजी मे 1/3 हिस्सा आराजी दर्ज है। वादी के दादा श्री गुरनाम सिंह व पिता बलतेज सिंह माता परमजीत कौर, ताऊ सुखदेव सिंह का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी सं– 7 वादी की दादी व प्रतिवादी सं–1 ता 6 वादी के ताउ के वारिसान है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: SelfAttested

यह कि वाद पत्र की चरण सं– 4 मे वर्णित आराजी मे वादी का 1/2 हिस्सा यानि 1.469 हैक्टर आराजी नहरी मय गैर मुम. रास्ता बनती है। जिसका वादी हकदार है। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा अरसा पूर्व आराजी का घरू बंटवारा किया और बंटवारानुसार वादी उपरोक्त वर्णित दोनो खातो की आराजी 1.497 हैक्टर का खातेदार है।

यह कि वाद पत्र की चरण सं–5 मे वर्णित आराजी मे वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है और सांझा रूप से ही ठेका पर देते थे। वर्तमान मे उक्त आराजी वादी के दादा गुरनाम सिंह के नाम से दर्ज रहने से वादी के हितो पर कुठाराघात हो रहा है तथा प्रतिवादीगण उपरोक्त आराजी पर कब्जा करने की फिराक मे है ऐसी स्थिति मे वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करनी आवश्यक हो चुकी है कि वादी वाद पत्र की चरण सं– 3 मे दर्ज आराजी चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी के खाता सं. 35/32 पं.न. 159/301 मु.न. 67 कि.न. 11/3/.076, 11/6/.008 कुल तादादी 2 किता यानि .084 हैक्टर मे 1/3 हिस्सा मे 1/2 हिस्सा यानि .014 हैक्टर तथा चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी खाता सं. 32/27 पं.न. 160/299 मु.न. 61 कि.न. 19/1, 23 पं.न. 160/300 मु.न. 64 कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल तादादी 2.910 हैक्टर मे 1/2 हिस्सा यानि दोनो खातो की कुल तादादी 1.469 हैक्टर आराजी का खातेदार है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को एक सप्ताह पूर्व निवेदन किया कि वे तहसील चलकर राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करवा लेवे तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

यह है कि घोषणत्मक आज्ञप्ति इस आशय की जारी फरमायी जावे वादी वाद पत्र की चरण सं– 3 मे दर्ज आराजी चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी के खाता सं. 35/32 पं.न. 159/301 मु.न. 67 कि.न. 11/3/.076, 11/6/.008 कुल तादादी 2 किता यानि .084 हैक्टर मे 1/3 हिस्सा मे 1/2 हिस्सा यानि .014 हैक्टर तथा चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी खाता सं. 32/27 पं.न. 160/299 मु.न. 61 कि. न. 19/1, 23 पं.न. 160/300 मु.न. 64 कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल तादादी 2.910 हैक्टर मे 1/2 हिस्सा यानि दोनो खातो की कुल तादादी 1.469 हैक्टर आराजी का खातेदार है।

≈ वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 7 की ओर से अधिवक्ता कुनाल गौड़ ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 ने राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रा0 किया गया। राजीनामा में स्व. गुरनाम सिंह के नाम दर्ज आराजी में प्रतिवादी सं. 7 उनकी पत्नी व प्रतिवादी सं. 1 ता 7 सुखदेव सिंह के वारिसान व वादी बलतेज सिंह का वारिस है। प्रतिवादीगण 2 ता 7 उक्त भूमि में कोई हक नहीं लेना चाहते है तथा अपना हक व हिस्सा वादी सं. 1 कुलविन्द्र सिंह के पक्ष में तर्क कर दिया है।

≈ पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक राजीनामा के वाद पत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। राजीनामा पेश होने के कारण न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वादी वाद मुताबिक राजीनामा के स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा निर्णित किया जाता है किः– चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी के खाता सं. 35/32 पं.न. 159/301 मु.न. 67 कि.न. 11/3/.076, 11/6/.008 कुल तादादी 2 किता यानि .084 हैक्टर मे 1/3 हिस्सा तथा चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी खाता सं. 32/27 पं.न. 160/299 मु. न. 61 कि.न. 19/1, 23 पं.न. 160/300 मु.न. 64 कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल तादादी 2.910 हैक्टर मे 1/2 हिस्सा में गुरनाम सिंह पुत्र दलीप सिंह के नाम दर्ज है का वादी गुरजोत सिंह पुत्र बलतेज सिंह व प्रतिवादी सं. 1 कुलविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह को ब.हि.ब. हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार उक्त दोनों खातों से खातेदार गुरनाम सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:31:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो वसूल करेंगे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी की जावें। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार कर, नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः–(दिव्या) RAS

प्रकरण संख्याः–114/2024

गुरजोत सिह पुत्र स्व. श्री बलतेज सिंह पुत्र स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।

– वादी

बनाम्

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़। ।
2. कर्मजीत कौर पत्नि स्व. श्री सुखदेव सिंह
3. वीरपाल कौर पुत्रीया स्व. सुखदेव सिंह पुत्र स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति
4. मनजीत कौर जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. हरप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. समनप्रीत कौर पुत्री स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. जलकौर पत्नि स्व. श्री गुरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी 7 एस एस डब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः– 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ दिव्या आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री मनोज अरोड़ा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुनाल गौड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 7 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व राजीनामा अनुसार डिक्री दी जाती है किः– चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी के खाता सं. 35/32 पं.न. 159/301 मु.न. 67 कि.न. 11/3/.076, 11/6/.008 कुल तादादी 2 किता यानि .084 हैक्टर मे 1/3 हिस्सा तथा चक न. 7 एस एस डब्ल्यू पटवार हल्का 10 के एस पी खाता सं. 32/27 पं.न. 160/299 मु.न. 61 कि.न. 19/1, 23 पं.न. 160/300 मु. न. 64 कि.न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19 ता 22 कुल तादादी 2.910 हैक्टर आराजी जो वर्तमान में गुरनाम सिंह पुत्र दलीप सिंह के नाम दर्ज है का वादी गुरजोत सिंह पुत्र बलतेज सिंह व प्रतिवादी सं. 1 कुलविन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह को ब.हि.ब. हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार उक्त दोनों खातों से खातेदार गुरनाम सिंह का नाम कलमजन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ गणना कर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय हो तो वसूल करेंगे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि किसी स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदी कर लगाम कायमी के आदेश दिए जाते है। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निज XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक ..... को जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.04.05 19:33:50 IST
Reason: SelfAttested